हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 11th अप्रैल, 2013

संख्या वैब 3/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2013. — संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क, ख तथा ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी तथा अन्तिम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगाः–

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,–

(i) अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

1	2	3
"9	बीड़ी तथा हुक्के में प्रयुक्त होने वाले कतरे हुए तम्बाकू को छोड़कर तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	20%";

(ii) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 55 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"55	हुक्के में प्रयुक्त होने वाला कतरा हुआ तम्बाकू";

(iii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"10क	बीडी"।

राजन गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।